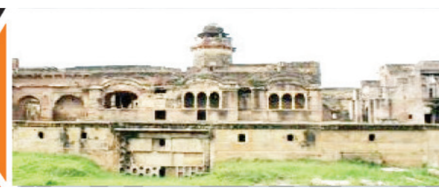

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र, बढ़ा जिले का गौरव

क्वालिटी एवं एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा कार्यालय

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 14 मई। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के लिए एक ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण क्षण उस समय आया, जब कार्यालय को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य करने हेतु आईएसओ प्रमाण पत्र क्रमांक 9001 (क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम) एवं 14001 (एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम) प्रदान किया गया। यह उपलब्धि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड द्वारा पारदर्शी प्रशासन, गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाओं और पर्यावरणीय मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रमाण मानी जा रही है। यह उपलब्धि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के.एस. बरिया के कुशल मार्गदर्शन, सतत प्रयासों एवं बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम है। उनके नेतृत्व में कार्यालय ने कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं सेवा सुधार के मानकों को मजबूती से लागू किया। नई दिल्ली की टीम ने सौंपा प्रमाण पत्र:

आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह में आईएसओ टीम नई दिल्ली के प्रतिनिधि शिवांशु तिवारी ने औपचारिक रूप से प्रमाण पत्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के.एस. बरिया एवं सचिव अनुभूति गुप्ता को प्रदान किया। इस अवसर पर बताया गया कि यह प्रमाणन इस बात का प्रमाण है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड द्वारा गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएं, जनहितकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक पारदर्शिता एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी मानकों का सफलतापूर्वक पालन किया जा रहा है। समारोह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड के साथ न्यायपालिका के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी एवं जिला न्यायालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। आईएसओ प्रमाण पत्र मिलने से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। यह उपलब्धि जिले के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भविष्य में भी बेहतर एवं जनोन्मुखी विधिक सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लिया।

कन्या छात्रावास में वाटर कूलर का शुभारंभ, छात्राओं को मिलेगा शुद्ध एवं शीतल पेयजल

ग्रीष्म ऋतु में छात्राओं को राहत देने प्रशासन की पहल, डिप्टी कलेक्टर कविता यादव ने किया लोकार्पण

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 14 मई। ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए शासकीय महाविद्यालयीन स्तर कन्या छात्रावास भिंड में छात्राओं को शुद्ध एवं शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाटर कूलर स्थापित किया गया। डिप्टी कलेक्टर कविता यादव ने फीता काटकर वाटर कूलर का शुभारंभ किया। यह पहल कलेक्टर भिंड के निर्देशानुसार छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाओं की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है। अब छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को गर्मी के मौसम में शीतल एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी।

शुभारंभ अवसर पर डिप्टी कलेक्टर कविता यादव ने कहा कि छात्राओं को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ छात्राओं के स्वास्थ्य और सुविधा का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक है। उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका एवं स्टाफ को निर्देश दिए कि वाटर कूलर का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि छात्राओं को लगातार स्वच्छ पेयजल मिलता रहे। साथ ही जल संरक्षण के प्रति भी जागरूक रहने की सलाह दी।

छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। छात्राओं ने कहा कि पहले गर्मी के मौसम में गर्म पानी पीना पड़ता था, जिससे परेशानी होती थी। अब शीतल पानी मिलने से राहत मिलेगी और पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। एक छात्रा ने कहा कि पहले पानी ठंडा न होने के कारण दिक्कत होती थी, लेकिन अब वाटर कूलर लगने से सुविधा बढ़ गई है।

ग्रीष्मकाल में बढ़ते तापमान को देखते हुए यह व्यवस्था छात्राओं के लिए राहत भरी साबित होगी। प्रशासन की इस पहल को छात्रावास की बालिकाओं ने सराहनीय बताया। कार्यक्रम के दौरान छात्रावास स्टाफ एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर धरना जारी

अनुसूचित जाति संघर्ष समिति ने प्रशासन पर कार्रवाई में देरी का लगाया आरोप

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 14 मई। अनुसूचित जाति संघर्ष समिति लहार के नेतृत्व में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। समिति द्वारा बताया गया कि शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 2711 एवं 2715 का सीमांकन होने के बावजूद अतिक्रमणकारियों के कब्जे से भूमि मुक्त नहीं कराई गई है, जिसके विरोध में 5 अगस्त 2024 से दशहरा मैदान भाटनताल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

धरना प्रदर्शन को गुरुवार को 648वां दिन पूरा हो गया। आंदोलनकारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सीमांकन उपरांत संबंधित शासकीय भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। धरना स्थल पर समिति के संयोजक बाबूलाल टैगोर के नेतृत्व में प्रतिदिन प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखे जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। धरना के 648वें दिन समर्थन देने पहुंचे लोगों में बच्चूलाल विश्वकर्मा, रामनारायण नेताजी, हरगोविंद सिंह बघेल, बंटू सिंह कुशवाह, जसमंत सिंह कुशवाह, रामदास आजाद, रामप्रसाद मुखिया, पप्पू ड्राइवर, प्रदीप गुप्ता, देवेंद्र सिंह, केदार सिंह परिहार, सोनेलाल रायपुरिया, भगवानदास कुशवाह एवं प्रेम सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

विद्युत समाधान शिविर में 36 शिकायतें निराकृत

मुरैना/जौरा, 14 मई। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए गुरुवार को पुराने अस्पताल परिसर में बिजली शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सहायक यंत्री पीएस यादव और कनिष्ठ यंत्री मुकेश कुमार मिश्रा मौजूद रहे। शिविर में नया कनेक्शन, नाम परिवर्तन, कनेक्शन विच्छेदन, गलत या अधिक बिल, मीटर रीडिंग, स्मार्ट मीटर, लो-वोल्टेज और डुप्लीकेट बिल जैसी शिकायतें सुनी गईं। शिविर में शाम 4 बजे तक 38 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 36 का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पांच काउंटर बनाए गए थे। बिजली विभाग ने बताया कि 16 मई को नगरीय क्षेत्र के इस्लामपुरा रोड स्थित टाउन हॉल में समस्या निराकरण शिविर आयोजित किया जाएगा।

जिला पोषण समिति की बैठक, कुपोषण मुक्त भिंड बनाने पर जोर

फील्ड मॉनिटरिंग, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश

नवभारत न्यूज

भिण्ड, 14 मई। महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण अभियान अंतर्गत जिला पोषण समिति की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कुपोषण एक गंभीर चुनौती है और इसे समाप्त करने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार एवं क्रमवार कार्रवाई कर पात्र लोगों को शीघ्र लाभान्वित किया जाए।

कलेक्टर ने सभी सीडीपीओ को प्रतिदिन फील्ड मॉनिटरिंग करने तथा सुपरवाइजरों के साथ क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए। सुपरवाइजरों को रोजाना आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने एवं कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर जाकर गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और कुपोषित बच्चों की जानकारी एकत्रित करने को कहा गया। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी जानकारी रजिस्टर में व्यवस्थित रूप से दर्ज की जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और निगरानी बनी रहे।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को डिस्चार्ज के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक दस्तावेज है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की समीक्षा करते हुए पात्र बच्चों को समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। जिन हितग्राहियों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके लिए विशेष शिविर आयोजित कर आधार पंजीयन कराने के आदेश दिए गए। साथ ही एमएमबास्क पोर्टल पर एंट्री कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में मातृ वंदना योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए लाभार्थियों की स्थिति जानी गई। इसके अलावा गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चों की जानकारी लेकर उनके स्वास्थ्य सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में कलेक्टर ने कहा कि जिले को कुपोषण मुक्त बनाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग, जनसहभागिता और विभागीय समन्वय आवश्यक है।

खरीदी केंद्र की मनमानी से नाराज किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली लगाकर मुख्य मार्ग किया बाधित

भिंड। लहार क्षेत्र के मुख्य मार्ग स्थित महंत वेयरहाउस पर संचालित खरीदी केंद्र में तुलाई संबंधी अनियमितताओं और मनमानी के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज किसानों ने खरीदी केंद्र के बाहर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित रहा।

किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र पर तुलाई कार्य में अनावश्यक देरी, अव्यवस्थित व्यवस्था और मनमानी की जा रही है, जिससे उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई किसानों ने बताया कि समय पर तुलाई नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन और केंद्र प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मांग की कि खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और तुलाई कार्य में हो रही गड़बड़ियों को तत्काल दूर किया जाए।

जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने किसानों की शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। काफी देर तक चले विरोध प्रदर्शन के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित रहा। बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद किसानों ने जाम हटाया।

सिंघवारी में लगा बिजली विभाग का कैंप, 50 शिकायतों का हुआ निराकरण

नवभारत न्यूज

मालनपुर 14 मई। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा चलाए जा रहे संपर्क अभियान के तहत गुरुवार को ग्राम सिंघवारी में विद्युत समस्या निराकरण कैंप आयोजित किया गया। कैंप में उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ी और अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए अधिकतर समस्याओं का हाथों-हाथ समाधान किया। कैंप का शुभारंभ कंपनी मुख्यालय भोपाल के मुख्य महाप्रबंधक ए.के. सक्सेना ने किया। इस दौरान मालनपुर संभाग के उप महाप्रबंधक हरीश मेहता, सहायक प्रबंधक आदित्य सिंहयादव सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। कैंप में कुल 91 उपभोक्ता पहुंचे और 52 शिकायतें दर्ज कराई गईं। अधिकारियों ने 51 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण कर दिया। साथ ही 3 नए कनेक्शन भी तत्काल जारी किए गए।

इन समस्याओं का हुआ समाधान: कैंप में बिल सुधार, सर्विस केबल मेंटेनेंस, मीटर बदलना, अनुमानित रीडिंग की दिक्कत, गलत बिल में सुधार, नवीन कनेक्शन, नाम में गड़बड़ी, लोड घटाना-बढ़ाना समेत सभी तरह की विद्युत संबंधी शिकायतें सुनी गईं और उनका निराकरण किया गया। सिंघवारी गांव के निवासी सुल्तान सिंह बघेल ने कहा कि ऐसे कैंप समय-समय पर जरूरी है जिससे ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है घर बैठे और गांव में ही समस्या का निराकरण हो रहा है ऐसे कैंप आयोजित होते रहना चाहिए, कैंप में तत्काल निराकरण की ग्राम वासियों ने सराहना की और बेहतरीन कदम बताया। इस अवसर पर कैंप में ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे।

1 साल तक चलेगा अभियान, महीने में 8 दिन कैंप: विद्युत अधिकारियों ने बताया कि संपर्क अभियान के तहत लगातार 1 वर्ष तक जगह-जगह कैंप आयोजित किए जाएंगे। हर महीने 8 दिन अलग-अलग ग्रामों में कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी। **अगला कैंप 16 मई को हरीराम का पुरा में:** अभियान के तहत अगला कैंप 16 मई को ग्राम हरीराम का पुरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में लगाया जाएगा। अधिकारियों ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कैंप में पहुंचकर अपनी विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण कराएं और योजना का लाभ लें।

भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष को पद से हटाया

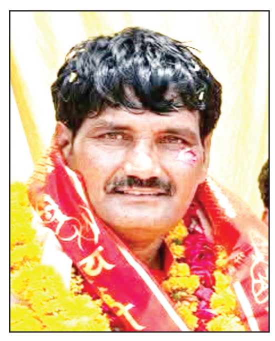

नवभारत न्यूज

गोहद 14 मई। भाजपा में अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए किसान मोर्चा भिंड के जिलाध्यक्ष सज्जन सिंह यादव को उनके पद से हटा दिया गया है। वजह बनी वह शक्ति प्रदर्शन वाली रैली, जिसमें सैकड़ों वाहनों का काफिला लेकर ग्वालियर से भिंड तक प्रदर्शन किया गया—और यही प्रदर्शन अब उनकी राजनीतिक कुर्सी पर भारी पड़ गया। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि 13 मई 2026 को सज्जन सिंह यादव के नेतृत्व में निकाली गई यह रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत की अपील की सीधी अवहेलना है। प्रदेश संगठन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा नेतृत्व अब दिखावे और शक्ति प्रदर्शन की राजनीति पर सख्त रुख अपनाने के मूड में है। जिस काफिले के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश की गई, वही अब राजनीतिक कमजोरी का कारण बन गया। पार्टी के अंदर यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखी जा रही है—चाहे कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो, संगठन के अनुशासन और प्रधानमंत्री की सार्वजनिक अपील से ऊपर कोई नहीं। भिंड भाजपा में इस फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है। समर्थकों में मायूसी है, जबकि विरोधी गुट इसे संगठनात्मक अनुशासन की जीत बता रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि किसान मोर्चा भिंड की कमान किसे सौंपी जाएगी। सियासी संदेश साफ है—भाजपा में अब 'शक्ति प्रदर्शन' नहीं, 'अनुशासन प्रदर्शन' चलेगा।

जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित

मुरैना, 14 मई। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में एसपी धर्मराज मीणा, एएसपी सुरेन्द्रपाल सिंह डाबर, मेजर इलियास, एसपी सारस्वत सहित कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे।

कार्यालय तहसीलदार परगना लहार जिला-भिण्ड

क्रमांक-क्यू/रीडर/2026/
लहार दिनांक- 11/5/26

विज्ञप्ति आदेश

म.प्र. भू-राजस्व सहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अन्तर्गत प्रस्तुत नामांतरण आवेदन जो कि शिवनारायण पुत्र जगदीश जाति खंगार निवासी ग्राम बमनपुरा तहसील लहार की वसीयत दिनांक 26/05/2022 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें मौजा छान के आराजी सर्वे नम्बर 344 रकबा 0.71 हे. में से भाग 1/4 व 216 रकवा 0.71 हे. में से भाग 1/2 एवं मौजा वमनपुरा के आराजी सर्वे नं. 162 रकचा 0.98 हे. में से भाग 1/4 व 207 रकवा 1.90, 215 रकवा 1.03, 159 रकवा 1.39 है. किता 03 रकवा 4.31 हे. में से भाग 1/3 एवं 214 रकवा 0.43 हे. में से भाग 1/4 पर वसीतय के आधार पर वसीयत ग्रहिता पवन परिहार पुत्र रामबाबू परिहार जाति खंगार निवासी ग्राम बमनपुरा निवासी तहसील लहार के नामा नामांतरण कराने हेतु आवेदन किया है। यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को उक्त भूमि/संपत्ति के संबंध में कोई आपत्ति या दावा हो, तो वह इस न्यायालय के प्र.क. 0542/अ-6/2025-26 में दिनांक 21/05/2026 तक उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रकरण में नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। अतः आदेशित किया जाता है कि प्रकाशन कम से कम 1 हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में कराया जाए।

तहसीलदार
लहार भिण्ड (म.प्र.)

लाठियों से पीटकर युवक को किया लहूलुहान

नवभारत न्यूज

मालनपुर, 14 मई। मालनपुर थाना क्षेत्र के जिमलेदार का पुरा गांव में सोमवार रात 10 बजे पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को ग्वालियर रेफर किया गया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार मलखान सिंह पुत्र केशव सिंह गुर्जर निवासी जिम्मेदार का पुरा 12 मई की रात करीब 10 बजे ट्रैक्टर लेकर निकल रहा था। तभी गांव के ही हिस्ट्रीशीटर बदमाश लाखन उर्फ लखना एवं उसके भतीजे आकाश ने पुरानी रंजिश को लेकर रास्ता रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे। मलखान ने गाली देने से मना किया तो दोनों आरोपियों ने लुहांगी और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में मलखान गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तुरंत उसे ग्वालियर के निजी अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में मालनपुर थाना पुलिस ने फरियादी के बयानों के आधार पर आरोपी लाखन उर्फ लखना एवं आकाश के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनाया फैसला

नवभारत न्यूज

गोहद 14मई। बहुचर्चित हत्या प्रकरण में न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला दिनांक 13 मई 2026 को सुनाया गया।

यह मामला थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक 48/2020 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त हरिओम जाटव (36 वर्ष), पिता कालीचरण जाटव एवं सौरव शर्मा (19 वर्ष), पिता अदल बिहारी शर्मा, दोनों निवासी ग्राम बिरखड़ी, को भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 एवं 34 भादवि के तहत दोषी पाया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय, गोहद द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, फरियादी अमरीश शर्मा ने थाना गोहद चौराहा में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता ओमप्रकाश शर्मा 27 फरवरी 2020 को मजदूरी की तलाश में ग्राम सोनी गए थे और वापस लौटकर ग्राम बिरखड़ी में नंदकिशोर शर्मा के घर के सामने बैठे थे। शाम करीब 6 बजे उन्हें हरिओम जाटव के साथ बातचीत करते देखा गया था।

रात लगभग 8:30 बजे सूचना मिली कि उनके पिता गणेशपुरा स्थित हनुमान मंदिर की टेकरी के पास रास्ते में घायल अवस्था में पड़े हैं। जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ओमप्रकाश शर्मा बेहोश थे तथा उनके सिर, बाएं हाथ और दोनों पैरों में गंभीर चोटों के निशान थे। तत्काल उन्हें गोहद अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान 28 फरवरी 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर थाना गोहद चौराहा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विस्तृत विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस प्रकरण का संचालन प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन भिण्ड श्री अरविंद श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा किया गया। शासन द्वारा इस मामले को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया था।

विशेष बात यह रही कि पूरे मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और पूरा मुकदमा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। विशेष लोक अभियोजक श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, जिस पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।